

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक 4(10)पपा/2016

जयपुर, दिनांक 25.4.2017

आज्ञा

राजस्थान पशुपालन सेवा, नियम 1963 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशु पालन सेवा के निम्नांकित उप निदेशक (सामान्य) को संयुक्त निदेशक (सामान्य) के पद पर (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 7600/- में) पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2016-17

1. डा. श्याम सुन्दर चन्दावत (अजा)
2. डा. योगेन्द्र सिंह (सामान्य)
3. डा. वीरेन्द्र गांधी (सामान्य) (सेवानिवृत्त)
4. डा. दिनेश चन्द माथुर (सामान्य) (सेवानिवृत्त)
5. डा. युगभूषण वधवा (सामान्य)
6. डा. प्रवीण कुमार माथुर (सामान्य) (सेवानिवृत्त)

इनका प्रतिस्थापन वर्ष 2016-17 की चयन सूचि में निम्नानुसार रहेगा।


क्र.	नाम अधिकारी	प्रतिस्थापन
1	डा. श्याम सुन्दर चन्दावत (अजा)	वर्ष 2016-17 की चयन सूची की क्र.सं. 3 पर अंकित डॉ. बी.आर. जेदिया के नीचे एवं क्र.सं. 4 पर अंकित डॉ. रामजी लाल मीणा के नाम के उपर
2	डा. योगेन्द्र सिंह (सामान्य)	वर्ष 2016-17 की चयन सूची की क्र.सं. 11 पर अंकित डॉ. हरिराम वर्मा के नीचे एवं क्र.सं. 12 पर अंकित डॉ. राजेन्द्र कुमार तमोली के नाम के उपर क्रमांक 1 पर
3	डा. वीरेन्द्र गांधी (सामान्य)	वर्ष 2016-17 की चयन सूची की क्र.सं. 11 पर अंकित डॉ. हरिराम वर्मा के नीचे एवं क्र.सं. 12 पर अंकित डॉ. राजेन्द्र कुमार तमोली के नाम के उपर क्रमांक 2 पर
4	डा. दिनेश चन्द माथुर (सामान्य)	वर्ष 2016-17 की चयन सूची की क्र.सं. 11 पर अंकित डॉ. हरिराम वर्मा के नीचे एवं क्र.सं. 12 पर अंकित डॉ. राजेन्द्र कुमार तमोली के नाम के उपर क्रमांक 3 पर
5	डा. युगभूषण वधवा (सामान्य)	वर्ष 2016-17 की चयन सूची की क्र.सं. 17 पर अंकित डॉ. सुषमा विज के नीचे एवं क्र.सं. 18 पर अंकित डॉ. गोरीनन्दन गोयल के नाम के उपर
6	डा. प्रवीण कुमार माथुर (सामान्य)	वर्ष 2016-17 की चयन सूची की क्र.सं. 21 पर अंकित डॉ. शिवपत राम धायल के नीचे एवं क्र.सं. 22 पर अंकित डॉ. रमेश चन्द गुप्ता के नाम के उपर

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ0 गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/ 2012 डॉ0 रामप्रकाश

नायक बनाम सरकार एवं याचिका संख्या 15056/2016 डॉ0 रेणु गोयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(एन.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी/रक्षित पंजिका।



शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक: प.4(7)पपा / 2017

जयपुर, दिनांक :-25.4.2017

आज्ञा

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के निम्नांकित उप निदेशकों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ष 2017-18 की रिक्ति के विरुद्ध संयुक्त निदेशक (सामान्य) (पी.बी.-3-15600-39100 ग्रेड पे 7600/-) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2017-18

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1.	डा. ताराचन्द मेहरडा	अ.जा.	01.04.2017
2.	डा. रतन कुमार	अ.जा.	01.04.2017
3.	डा. जे.आर. बैरवा	अ.जा.	01.04.2017
4.	डा. हेम सिंह	अ.जा.	01.04.2017
5.	डा. मलखान मीणा	अ.ज.जा.	01.04.2017
6.	डा. प्रकाश चंद सिंघल	सामान्य	01.04.2017
7.	डा. भगवान दास शर्मा	सामान्य	01.04.2017
8.	डा. योगेन्द्र पाल राणा	सामान्य	01.04.2017
9.	डा. गिर्राज प्रसाद गुप्ता	सामान्य	01.04.2017
10.	डा. जगदीश प्रसाद यादव	सामान्य	01.04.2017
11.	डा. अबरार अहमद काजी	सामान्य	01.04.2017
12.	डा. कुमकुम सांघी	सामान्य	01.04.2017
13.	डा. पंकज सक्सेना	सामान्य	01.04.2017
14.	डा. जगदीश प्रसाद शर्मा	सामान्य	01.04.2017
15.	डा. दशरथ सिंह राठौड	सामान्य	01.04.2017
16.	डा. अशोक कुमार विज	सामान्य	01.04.2017
17.	डा. ललित जोशी	सामान्य	01.05.2017
18.	डा. अशोक कुमार गौतम	सामान्य	01.05.2017
19.	डा. इन्द्र सिंह नेहरा	सामान्य	01.06.2017
20.	डा. अहमद अली	सामान्य	01.07.2017
21.	डा. हरी सिंह बारैठ	सामान्य	01.07.2017
22.	डा. चन्द्रपाल राठौड	सामान्य	01.08.2017


उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/ 2012 डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार एवं याचिका संख्या 15056/2016 डॉ० रेणु गोयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।



विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति के पात्र हैं। पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किये जाने के उपरान्त पदोन्नत राजसेवकों को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से ही पदोन्नति का वास्तविक लाभ देय होगा।

पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(एन० एल० गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य विभाग राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी / रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव